



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं0 पटना 760) पटना, सोमवार, 13 जुलाई 2026

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

11 जुलाई 2026

सं0 IV/M¹-1-02/2026-4220— राज्य सरकार द्वारा निबंधन की वर्तमान प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुख बनाने एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/फ्लैट का घर बैठे निबंधन की सुविधा प्रदान किये जाने तथा निबंधन की प्रक्रिया को पूर्णतः पेपरलेस किये जाने हेतु बिहार निबंधन नियमावली, 2026 गठित है।

“बिहार निबंधन नियमावली, 2026” सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू किया जाना है। पेपरलेस दस्तावेजों के निबंधन की प्रक्रिया पूर्णतः नयी व्यवस्था होने के कारण आम जनों को दस्तावेज के निबंधन में अपेक्षित सुविधा भी प्रदान किया जाना है।

निबंधनार्थी जनता की सुविधा को देखते हुए “बिहार निबंधन नियमावली, 2026” चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना आवश्यक है। प्रथम चरण में पेपरलेस दस्तावेजों का निबंधन 10 (दस) निबंधन कार्यालयों में लागू किया जा रहा है, जो तिथिवार निम्नवत् है :-

(i)	जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)	(दिनांक—11.07.2026 से)
(ii)	जिला निबंधन कार्यालय, जहानाबाद	(दिनांक—18.07.2026 से)
(iii)	अवर कार्यालय, पातेपुर (वैशाली)	(दिनांक—18.07.2026 से)
(iv)	अवर निबंधन कार्यालय, फतुहा (पटना)	(दिनांक—18.07.2026 से)
(v)	अवर निबंधन कार्यालय, सम्पतचक (पटना)	(दिनांक—18.07.2026 से)
(vi)	अवर निबंधन कार्यालय, सोनपुर (सारण)	(दिनांक—18.07.2026 से)
(vii)	अवर निबंधन कार्यालय, डिहरी ऑन—सोन (रोहतास)	(दिनांक—18.07.2026 से)
(viii)	अवर निबंधन कार्यालय, मंझौल (बेगूसराय)	(दिनांक—18.07.2026 से)
(ix)	अवर निबंधन कार्यालय, बाबूबरही (मधुबनी)	(दिनांक—18.07.2026 से)
(x)	अवर निबंधन कार्यालय, सोनवर्षा (सहरसा)।	(दिनांक—18.07.2026 से)

2. शेष निबंधन कार्यालयों के लिए अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।
3. बिहार निबंधन नियमावली 2026 के लागू होने के पूर्व निबंधन कार्यालयों में बिहार निबंधन नियमावली 2008 (यथासंशोधित) पूर्ववत प्रभावी रहेगा।
4. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/प्लैट का घर बैठे निबंधन की सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी प्रावधान संपूर्ण बिहार राज्य में लागू किया जाता है।
5. यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 760-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>